प्र.डी.-15

S-1

पूरक कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना-ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक-09/15

जिला-रायपुर।
धारा-धारा-109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

श्री गिरीश शर्मा पिता श्री आर0पी0 शर्मा आयु 51 साल निवासी-एचआईजी-2/441, सेक्टर-1, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर पद-उप प्रबंधक, पी0ए0 टू प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अवन्ति विहार रायपुर छ0ग0।

--00--

पूछनें पर बताया कि मैं नान कार्यालय भोपाल में 1987 में स्टेनो टायपिस्ट के पद पर भर्ती हुआ था। वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य में आबंटन उपरांत आया एवं वर्तमान में एम.डी. नान, श्री अनिल टूटेजा रायपुर के स्टेनो के रूप में पदस्थ हूँ। स्टेनों के तौर पर मुझे कई शासकीय एवं कई निजी काम करने का आदेश मेरे अधिकारियों द्वारा हमेशा दिया जाता रहा है, जैसे कि टिकिट बुकिंग, होटल बुकिंग, बिल भुगतान इत्यादि । चूँकि अधिकारियों के पास कार्यालयीन कार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे कार्यों के लिये समय नहीं मिल पाता इसलिये उक्त कार्य सामान्यतः सभी स्टेनो करते हैं, मेरे द्वारा भी ये कार्य किये जाते रहे हैं । चूंकि मैं नान के एमडी के पीए के तौर पर कार्य करता हूँ, इसलिए विभाग के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के संपर्क में रहता हूँ तथा कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों से मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है।

पूछनें पर बताया कि चावल उपार्जन एवं संग्रहण में अनेक तरह की अनियमितताओं एवं परेशान कर अवैध वसूली की जाती है, जैसेकि निर्धारित मापदण्ड अनुरूप चावल की क्वालिटी न होने का भय दिखाकर, स्टैण्डर्ड पैकिंग का न होना, निर्धारित प्रारूप के बोरे में स्टेंसिल न होना, समय पर गोदाम में खाली न कराना इत्यादि। क्योंकि क्वालिटी जांच में चावल फेल होने से मिल मालिकों का आगे का काम रूक जाता है और वे कस्टम मिलिंग नहीं कर पाते, जिससे उनका पैसा फंस जाता है, साथ ही चावल को वापस ले जाने में ट्रक के लिए पुनः भाड़ा/मजदूरी देने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मेरी जानकारी के अनुसार संग्रहण केन्द्रों में राइस मिलर को अनेक प्रकार से उसकी कमियों एवं चावल की गुणवत्ता के नाम से परेशान किया जा सकता है, जिससे बचाने के लिए ही यह उगाही होती है। चावल की गुणवत्ता जितनी खराब होगी, वसूली की दर प्रति एक रूपये के दर से बढ़ जाएगी। फलस्वरूप उपरोक्त परेशानियों एवं आर्थिक नुकसान से बचने के लिये चावल मिल मालिक एवं परिवहन ठेकेदार नान के अधिकारियों की मांग अनुसार तयशुदा अवैध राशि देते हैं।

पूछनें पर बताया कि यह वसूली नान के जिला प्रबंधक एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर के माध्यम से होती है तथा उनके द्वारा तय किये गये प्रक्रियानुसार अवैध उगाही होती है । फील्ड के जिला प्रबंधक और क्वालिटी इंस्पेक्टर अवैध वसूली का अपने का पैसा अपने पास रखकर शेष उगाही का हिसाब प्रति माह नान के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसमें कम से कम चार रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नान के प्रादेशिक मुख्यालय में भी भेजा जाता है । इसमें से एक रूपया प्रति क्विंटल नान के एम.डी. को, एक रूपये प्रति क्विंटल नान के चेयरमेन को तथा 25 लाख रूपये की राशि प्रति माह नॉन मुख्यालय के कार्यालय के स्टाफ को जाता है, जिसमें से थोड़ी-थोड़ी राशि सभी को वितरित होता है। वर्तमान में सीएमडी का पद रिक्त होने के कारण चेयरमेन का हिस्सा श्री आलोक शुक्ला को प्राप्त होता है। प्रति माह लगभग 10 से 18 तारीख के बीच में यह राशि प्रत्येक जिले से शिवशंकर भटट, प्रबंधक नान के पास जमा होती है एवं एमडी अनिल टूटेजा के निर्देशानुसार यह राशि शिवशंकर भटट द्वारा अपने विश्वासपात्र व्यक्तियों के माध्यम से एकत्रित एवं वितरित किया जाता है। चावल उपार्जन सत्र में कुल मिलाकर लगभग डेढ से 2 करोड़ रूपये प्रतिमाह उगाही होती है। इसके अतिरिक्त परिवहन ठेकेदारों से भी अवैध उगाही का पैसा आता है, जो सीधे शिवशंकर भटट एवं एमडी अनिल टूटेजा को जाता है। इसके अतिरिक्त चना, दाल एवं नमक की सप्लाई आर्डर से भी पैसा प्रतिमाह एमडी को आता था। उगाही के पैसे का पूरा हिसाब भटट रखता है।

पूछनें पर बताया कि एम.डी. अनिल टूटेजा का पीए हूँ, किंतु पूर्व में डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव के सम्पर्क में रहने के कारण, उनका विश्वासपात्र हूँ । विगत कुछ वर्षों से शिव शंकर भट्ट जो कि पीडीएस का प्रभारी है, के द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधकों के माध्यम से फील्ड से वसूली की कार्यवाही की जाती रही है । वर्तमान एमडी से शिवशंकर भट्ट के बहुत अच्छे सम्बन्ध होने व विश्वास पात्र होने के कारण वह पूर्ववत अवैध उगाही करता रहा है।

पूछनें पर बताया कि शिवशंकर भट्ट के अधीनस्थ जीतराम यादव, अरविन्द ध्रुव, त्रिनाथ रेड्डी एवं कीर्तिकांत बारीक़ को फील्ड के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधकों द्वारा उगाही की रकम लाकर दिया जाता है। जीतराम यादव, अरविन्द्र ध्रुव, त्रिनाथ रेड्डी एवं किर्ती कांत बारीक भी छोटे स्तर के कर्मचारी हैं तथा इनका चॉवल उपार्जन या अन्य खाद्यान्न के क्रय करने में कोई पदीय हैसियत नहीं है तथा चूंकि ये शिवशंकर भट्ट के अधिनस्त कार्य करते थे अतः उसके आदेश के अनुसार कार्य करते थे। यह सम्पूर्ण कार्यवाही एमडी अनिल टूटेजा की जानकारी व सहमति से होता है। मेरे द्वारा शिवशंकर भटट से राशि प्राप्त कर एमडी अनिल टूटेजा के द्वारा बताये गये व्यक्तियों यश भैया (एमडी के पुत्र) को मीनाक्षी सेलुन में राजू को कुल 40 लाख रूपये व सौरभ को 20 लाख रूपये एमडी के घर में जाकर दिया गया है। इसी प्रकार व्यास ट्रेवल्स को दिनांक 10.11.2014 को एमडी के निर्देश पर दिल्ली-अमृतसर के एयर टिकिट एवं होटल का किराया कुल 75,758 रूपये नगद दिया हूँ। अनिल टूटेजा साहब के कहने पर एक बार राजू से 14 लाख रूपये लेकर पी.एस. डॉ0 आलोक शुक्ला को देना

था, जो उनके कहने पर मैंने विद्या हास्पिटल में डॉ0 आनंद दुबे को वह पैसा दिया था, एमडी के निर्देशानुसार मैंने अजय ट्रेवल्स से 2 लाख रूपये का भुगतान कर उसके बदले में यूरो एवं डालर लेकर डॉ0 आलोक शुक्ला को दिया हूँ। डॉ0 आलोक शुक्ला सर के निर्देश पर यूनियन क्लब रायपुर को बेडमिंटन के लिए 45 हजार 200 रूपये का भुगतान मेरे द्वारा किया गया है। श्री अनिल टूटेजा द्वारा माह अगस्त 2014 मे एमडी का प्रभार लेने के बाद से अब तक लगभग 2 करोड़ 15 लाख रूपये की अवैध राशि शिवशंकर भटट से लाकर अनिल टूटेजा को एवं उनके द्वारा बताये व्यक्तियों को दे चुका हूँ।

पूछनें पर बताया कि, इसी प्रकार डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा मुझे सीधे फोन पर या बुलाकर पैसे की व्यवस्था हेतु बोलने कहते थे, तो मै एमडी अनिल टूटेजा को यह बताता था औरं एमडी साहब शिवशंकर भटट को बोल देते थे। शिवशंकर भटट अरविन्द ध्रुव के माध्यम से हिस्से की रकम की किश्त मुझे देता था। मेरी याददाश्त के अनुसार डॉ. आलोक शुक्ला को मेरे द्वारा सितम्बर 2014 से अब तक लगभग डेढ़ करोड़ रूपये दिया जा चुका है। यह रकम मैं डॉ. आलोक शुंक्ला को देता था अथवा उनके बताये व्यक्तियों को जाकर देता था। ज्यादातर रकम डॉ. शुक्ला के कहने पर विद्या हास्पिटल के डॉ आनंद दुबे को दिया हूँ तथा कई बार डॉ. आलोक शुक्ला को उनके घर में भी जाकर दिया हूँ। इसके अलावा डॉ. आलोक शुक्ला के कहने पर उनका पी.ए. संतोष तिवारी एस.डब्ल्यू.सी. के द्वारा एलईडी टीवी के लिए 60 हजार रूपये व मेदान्ता हास्पिटल को 20 हजार रूपये का भुगतान मैं स्वयं किया हूँ।

पूछनें पर बताया कि शिवशंकर भटट, अनिल टूटेजा एवं डॉ. आलोक शुक्ला द्वारा मुझे रकम भुगतान करने के लिए जाने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को फोन अथवा मोबाइल से बात करने के बाद ही मुझे रकम देने के लिए भेजते थे। इन अधिकारियों के कहने पर जितनी रकम और जिनको भुगतान किया हूँ, उसका पूरा रिकार्ड दिनांकवार मैंने उसे पेन ड्राइव में भी सुरक्षित रखा था, जिसे कार्यवाही के दौरान एसीबी अधिकारियों द्वारा जप्त किया गया है। इसके अलावा मैं जिन बिलों का भुगतान करता था, उसको भी सम्हालकर रखता था, क्योंकि उक्त अधिकारियों को रकम भुगतान का पूरा हिसाब देना पड़ता था, हिसाब देने के बाद डिस्ट्राय कर देता था। ए.सी.बी. के अधिकारियों द्वारा मेरे आफिस से डॉ0 आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टूटेजा के कई चीजों के भुगतान जो मेरे द्वारा की गई थी, की रसीद जप्त की गई है। भुगतान के दौरान घटित असमान्य स्थितियों का भी रिकार्ड मेरे द्वारा रखा गया है। दिनांक 12 फरवरी 2015 को छापे के दौरान मेरे कब्जे से 20 लाख रूपये की नगद राशि बरामद हुई थी। यह राशि डॉ. आलोक शुक्ला के द्वारा मुझे फोन कर घर बुलाकर 10 लाख रूपये की व्यवस्था करने एवं इस रकम को दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए कहा था और बार-बार बोल रहे थे कि 14 तारीख की सुबह तक रकम उसके घर पर मिल जावे। यह बात मैंने एमडी अनिल टूटेजा साहब को बताया, तब टूटेजा साहब ने शिवशंकर भटट को कहा था। शिवशंकर भटट ने अरविन्द ध्रुव को 20 लाख रूपये लाकर मुझे देने के लिए कहा। अरविन्द ध्रुव ने 20 लाख रूपये लाकर मुझे दिया। इसमें से 10 लाख रूपये मेरे द्वारा डॉ. आलोक शुक्ला को एवं 10 लाख रूपये टूटेजा को दिया जाना था। रकम प्राप्त होने की सूचना

देने पर टूटेजा साहब ने मुझें कहा कि मैं आफिस आ रहा हूँ, तब जाकर डॉ. आलोक शुक्ला को दे देना, परंतु उससे पहले ही छापा पड़ गया और उक्त रकम जप्त हो गया।

पूछनें पर बताया कि मैं एक सामान्य छोटे पद का कर्मचारी होकर अपने जीविकोपार्जन में लगा हूँ इसलिये अपने अधिकारियों के अवैध आदेश को मानना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कार्यालय में वसूली की राशि एकत्रित होना और उसका वितरण एक स्थापित परम्परा है तथा सभी की जानकारी में है। कार्यालय के शेष अधिकारी/कर्मचारियों की तरह मुझे भी कुछ पैसे मिल जाते हैं, परन्तु मेरे द्वारा कभी भी स्वमेव पैसे की व्यवस्था या संग्रहण नहीं किया गया, जब भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पैसे की मांग की जाती थी तब एमडी सीधे भट्ट को बोल देते थे व प्रमुख सचिव सीधे मुझे भी बोलते थे और उनके निर्देश पर जो पैसे भट्ट द्वारा दिया जाता था उसे वितरित करता था। यही मेरा कथन है।

दिनांक-18.02.2015

ROAC, before me,

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर